[2008] 2 एस-सी-आर- 650

आयकर के सहायक आयुक्त, अहमदाबाद

बनाम

अरविन्द पोलीकोट लिमिटेड

(दीवानी अपील नंबर 1182/2008)

8 फरवरी, 2008

(एस.एच. कपाड़िया और बी. सुदर्शन रेड्डी, जे.जे.)

आयकर अधिनियम, 1961- धारा 36 (I) (iii) पूंजीगत आस्तियों पर उधार के संबंध में दिया गया ब्याज संबंधित वित्तीय वर्ष में उपयोग में नहीं लिया गया - निर्णीत : अनुज्ञेय कटौतियां हैं।

प्रश्न जिसपर इस अपील में विचार किया जाना है : क्या पूंजीगत आस्तियों पर उधार के संबंध में दिया गया ब्याज जो कि संबंधित वित्तीय वर्ष में उपयोग में नहीं लिया गया आयकर अधिनियम की धारा 36 (i)(iii) के तहत अनुज्ञेय कटौती में अनुमत है

अपील को खारिज करते हुए न्यायालय ने तय किया :

पूंजीगत आस्तियों पर उधार पर चुकाया गया ब्याज जो कि संबंधित वित्तीय वर्ष में उपयोग में नहीं लिया गया, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (i) (iii) के अंतर्गत अनुज्ञेय कटौतियों के तहत स्वीकृत है। [पद्य 2] [651-बी,सी]

उप कमिश्नर, अहमदाबाद बनाम मैसर्स कोर हैल्थ केयर लिमिटेड 2008(2) स्केल 327 के निर्णय पर निर्भर।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील नंबर 1182/2008

गुजरात उच्च न्यायालय अहमदाबाद के टैक्स अपील नंबर 526/2003 में दिये गये निर्णय व आदेश दिनांकित 19.10.2005 के विरूद्ध।

पी. विश्वनाथ शेट्टी, टी. श्रीनिवास मूर्ति, गौरव अग्रवाल और बी.वी. बालाराम दास - अपीलार्थी की ओर से।

एस. गणेश, अमर दवे, रूस्तम बी. हाथीखानवाला, ई.सी. अग्रवाल, जे.पी. शाह, मनीष शाह, हरीश जे. जवेरी, परदीवाला, जय सावला और रीना बग्गा - प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायाधीश कपाड़िया द्वारा निर्णय पारित किया गया।

1. अनुमति स्वीकृत।

2. विभाग के द्वारा दायर की गयी दीवानी अपील में जो विधि का प्रश्न निर्णीत करने के लिए उद्भुत हुआ, वह इस प्रकार है कि-

"क्या पूंजीगत आस्तियों पर उधार के संबंध में दिया गया ब्याज जो कि संबंधित वित्तीय वर्ष में उपयोग में नहीं लिया गया आयकर अधिनियम की धारा 36 (i)(iii) के तहत अनुज्ञेय कटौती में अनुमत है?"

3. उक्त प्रश्न के संबंध में हमारा उत्तर हमारे द्वारा पूर्व में डिप्टी कमिश्नर आफ इनकम टैक्स, अहमदाबाद बनाम मैसर्स कोर हैल्थ केयर लिमिटेड दीवानी अपील नंबर 3952-55/2002 में आयकरदाता के पक्ष में व विभाग के विरूद्ध दिये गये निर्णय से आच्छादित है।

4. तदनुसार उक्त प्रश्न आयकरदाता के पक्ष में और विभाग के विरूद्ध निर्णीत किया जाता है। परिणामस्वरूप विभाग की दीवानी अपील खारिज की जाती है। खर्चों के बारे में कोई आदेश नहीं किया जाता है।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक

अधिकारी हेमलता धांडिया (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।